न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 114/2024(GCMS : 2024/162)

बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेंस लिमिटेड) शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, टण्डन लेबोरेट्री के पास, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री राजेन्द्र कुमार**
2. **श्रीमती सुमित्रा**

पता भूखण्ड नं. 74, ग्राम डूंगरसिंहपुरा, पोस्ट गणेशगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राज. 335025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार एवं सुमित्रा को ऋण सुविधा के रूप में 5.50/- लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.01.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 05.03.2024 को 4,68,446/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 74, गांव डूंगरसिहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 दरगज), (जिसकी चर्तुःसीमाए – उत्तर में मकान :साहबराम, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में मकान : भजन लाल, पश्चिम में मकान : दलीप सहारण)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण श्री राजेन्द्र कुमार एवं सुमित्रा** को ऋण सुविधा के रूप में 5.50/- लाख रूपये **(अखये रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 31.01.2018 को प्रदान की थी** और ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 74, गांव डूंगरसिहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 दरगज), (जिसकी चर्तुःसीमाए – उत्तर में मकान :साहबराम, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में मकान : भजन लाल, पश्चिम में मकान : दलीप सहारण)**, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.02.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 74, गांव डूंगरसिहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 दरगज), (जिसकी चर्तुःसीमाए – उत्तर में मकान :साहबराम, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में मकान : भजन लाल, पश्चिम में मकान : दलीप सहारण), भवन एवं ढांचा आदि सम्मिलित है जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। उक्त सम्पत्ति के उत्तर में मलिक का मकान, दक्षिण में जगदीश का मकान, पूर्व में रोड़ एवं पश्चिम में सुधीर का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.03.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.03.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.03..2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र कुमार **द्वारा बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल संपत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 74,** गांव डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर **(क्षेत्रफल 1000 दरगज), (जिसकी चर्तु:सीमाए – उत्तर में मकान :सोहबराम, दक्षिण में – सड़क, पूर्व में**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मकान : भजन लाल, पश्चिम में मकान : दलीप सहारण), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:53 IST
Reason: SelfAttested